

29-8-22

29-8-22 वादिया द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 23
नियम 1, 2 C.P.C. वॉस्ते वाद उत्थाहरण करने
एवं पुनः नया वाद पेश करने की अनुमति चाहने
वाकत पेश करने पर पत्रावली तलब की गयी
प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अनुसार वाद सुटिपूर्ण
होने से उत्थाहरण किया जाना आवश्यक है
हमने प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अध्ययन,
अवलोकन किया एवं वादिया को सुना। वादिया
द्वारा पहचान स्वरूप स्वहस्ताक्षरित आधार
कार्ड नं. 879070399786 की प्रति पेश की।
चूंकि वादिया द्वारा वाद उत्थाहरण की
अनुमति चाही गयी है अतः वादिया को वाद



From no |||

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मासूम बानो

बनाम

गापुर मोहम्मद

नंबर01.. वर्ष 2019

किस्म मुकदमा :- 88,188.R.T.Act

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>उत्थाहरण की अनुमति दी जाती है पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)</p>	